समस्त पत्र व्यवहार कुल सचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय को सम्बोधित करें अन्य किसी अधिकारी के नाम से नहीं।

संख्या –................................/टीचिंग/2023

दिनांक ....

प्रेषक,

कुलसचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ–226007

नैक द्वारा A++ ग्रेड प्रत्यायित

सेवा में,

समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष,
ल0वि0वि0।

विषयः– विभागों में रिक्त शैक्षणिक पदों के सापेक्ष मानदेय के आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों से अध्यापन कार्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक पूर्व में निर्गत इस कार्यालय के पत्र संख्या टी–11428 दिनांक 27.07.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्ब न्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन ने अपने पत्र संख्या 1/2018/09/सत्तर–1–2018– 16(58)/2017 दिनांक 18.01.2018 द्वारा यह निर्देशित किया है कि राज्य विश्वविद्यालयों में जब तक नियमित रूप से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाती, तब तक शिक्षकों की कमी को तत्काल दूर करने के लिए विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त शिक्षकों, जो 69 वर्ष की आयु प्राप्त न किये हों, को मानदेय के आधार पर उनके ज्ञान एवं अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए एक सत्र के लिए नियुक्ति की जा सकती है।

2. विश्वविद्यालय में रिक्त शैक्षणिक पदों के सापेक्ष सेवानिवृत्त शिक्षकों के चयन हेतु निम्न समिति का गठन करने का प्राविधान उक्त शासनादेश में निहित है :–

1.	कुलपति	अध्यक्ष
2.	संबंधित संकायाध्यक्ष	सदस्य
3.	संबंधित विभागाध्यक्ष	सदस्य
4.	कुलसचिव	सदस्य/सचिव

3. मानदेय के आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति एक सत्र के लिए निम्न दरों पर की जायेगी :–
   1. असिस्टेंट प्रोफेसर – रू0 500/– प्रति व्याख्यान की दर से या अधिकतम रू0 25,000/– प्रतिमाह
   2. एसोसिएट प्रोफेसर – रू0 600/– प्रति व्याख्यान की दर से या अधिकतम रू0 30,000/– प्रतिमाह
   3. प्रोफेसर – रू0 700/– प्रति व्याख्यान की दर से या अधिकतम रू0 35,000/– प्रतिमाह

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त शासनादेश दिनांक 18.01.2018 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत विभागों में ऐसे समस्त प्रकरण हेतु विभागाध्यक्ष अपने स्तर से आवेदन प्राप्त कर (आवश्यकतानुसार रिक्त पद के सापेक्ष) संकलित कर सुसंगत प्रस्ताव **अनिवार्य रूप से 25.08.2023 तक** अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे शासनादेश में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत गठित समिति की चयन/बैठक संकायवार/विभागवार आयोजित की जा सके।

भवदीय,

(डॉ0 विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

संख्याः– T- 17966-67 दिनांकः– 22/08/23

प्रतिलिपिः 1. निजी सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय को सूचनार्थ।
2. इंचार्ज, वेबसाईट को इस आशय से प्रेषित की विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

कुलसचिव

Website
23/08/2023